

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री नीरज मिश्र, आर.ए.एस

दिनांक - 21.5.19

क्रमांक रीडर/2019/

115

प्रार्थी
1 सोनाराम पुत्र
खेताराम जाति जाट
निवासी इन्द्रा नगर
सरनू तहसील व जिला
बाड़मेर।

बनाम


अप्रार्थीगण
1 प्रभूराम पुत्र नगाराम 2 चुतराराम पुत्र लाधाराम 3 जोगाराम
पुत्र सुखाराम 4 पूनमाराम पुत्र डूंगराराम 5 गोमाराम पुत्र
हनुमानराम 6 ठाकराराम 7 मालाराम पिसरान रामूराम 8
पुखराज पुत्र घेवरचन्द जाति जाट निवासी इन्द्रानगर सरनू
तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 721/2018

दिनांक- 15.5.19

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा इन्द्रा नगर पटवार क्षेत्र सरनू तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 503/257 रकबा 29.19 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।


(नीरज मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर


दिनांक- 21.5.19

क्रमांक :- रीडर/2019/

1120-1123

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी सरनू तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. सोनाराम पुत्र खेताराम जाति जाट निवासी इन्द्रा नगर सरनू तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी प्रभूराम पुत्र नगाराम वगैराह जाति जाट निवासी इन्द्रा नगर सरनू तहसील व जिला बाड़मेर।


उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर